पृ.क्रं.-

पिछला	अगला

(111)

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/एफ– 8/10–10/2010/4735 भोपाल, दिन 18-11-

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)
मध्यप्रदेश ।

विषय :– अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के संबंध में जन प्रतिनिधियों एवं संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाने बाबत ।

विषयॉन्तर्गत जैसा कि आपको विदित ही है कि कुछ अशासकीय स एवं संगठनों व्दारा उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को गलत तरीके से प्रस्तु आधिवासियों एवं स्थानीय लोगों को वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिये उकस रहा है । इस संबंध में यह आवश्यक है कि ट्राइबल राइट्स एक्ट के प्रावधानों व में स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के अध्यक्षों की बैठक उनके माध्यम से स्थानीय तौर पर आदिवासियों एवं अन्य स्थानीय लोगों को सही जानकारी से अवगत कराया जावे । इसी क्रम में अवैध तरीके से वन भूमि पर वि अतिक्रमणों को हटाने में भी स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं संयुक्त वन प्रबन्धन स का सहयोग प्राप्त कर अतिक्रमणों को बेदखल करने की कार्यवाही करने हेतु अ चलाया जाय ।

आपके व्दारा विषयॉन्तर्गत की गई कार्यवाही से शीघ्र इस कार्या अवगत कराया जावे ।

18/11/10
(ए एस अहलावत)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्ष
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C